बिंदौली में शादी समारोह के दौरान चलीं तलवारें

▸ दो सगे भाइयों पर किया जानलेवा हमला

नीमच। जिले के जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जेतपुरा पालसोड़ा में शादी का खुशियों भरा माहौल उस वक्त दहशत में बदल गया, जब बिंदौली कार्यक्रम के दौरान दो सगे भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। 20 अप्रैल की शाम हुई इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव में पारिवारिक विवाह समारोह के तहत बिंदौली निकाली जा रही थी। इसी दौरान महेंद्र रावत, गोविंद रावत और नारायण रावत मौके पर पहुंचे और विशाल नायक से विवाद करने लगे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने तलवार से हमला कर दिया।

हमला इतना खतरनाक था कि वार से विशाल नायक का बेल्ट कट गया और कपड़े फट गए। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अपने भाई को बचाने पहुंचे नरेंद्र सिंह नायक पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया, जिससे दोनों भाइयों के हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई हैं।

घटना के बाद शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण घायलों को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है।

घायल विशाल नायक के अनुसार, आरोपी बिना किसी ठोस कारण के आए और जान से मारने की नीयत से हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

लापता नाबालिग बालिका को सकुशल किया बरामद

नीमच। गुमशुदा बालक-बालिकाओं की तलाश के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना कुकड़ेश्वर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने एक नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसौदिया एवं एसडीओपी निकिता सिंह के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक भीमसिंह सिसौदिया के नेतृत्व में की गई। जानकारी के अनुसार, 17 अप्रैल 2026 को फरियादी ने थाना कुकड़ेश्वर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री 16 अप्रैल को घर से बिना बताए कहीं चली गई है। मामले में अपराध क्रमांक 75/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

52 किलो 500 ग्राम डोडाचूरा सहित एक आरोपी धराया

▸ माल उपलब्ध कराने वाले को भी बनाया आरोपी

नीमच। पुलिस ने भारी मात्रा में डोडाचुरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई पुलिस चौकी सरवानिया महाराज द्वारा की गई। इसमें जोधपुर राजस्थान के तस्कर मदनलाल विश्नोई से 52 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा के तस्करी करते जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही माल उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति को भी आरोपी बनाया।

जानकारी अनुसार 21 अप्रैल को पुलिस चौकी सरवानिया महाराज थाना जावद पर मिली सूचना की तस्दीक के दौरान घटनास्थल ग्राम मोरवन - लासुर रोड धामनिय फंटा पर से मदनलाल पिता गोवर्धनराम जाति विश्नोई (27) निवासी हमीर नगर फींच पुलिस थाना लूणी जिला जोधपुर राजस्थान के कब्जे वाली इग्निस कार से मिले तीन काले रंग के प्लास्टिक के कट्टों में अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा परिवहन करते हुए अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा मय कार के जब्तकर आरोपी मदनलाल विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। अवैध मादक पदार्थ उपलब्ध कराने वाले विक्रम सिंह पिता नवल सिंह बोराना निवासी ग्राम विसनीया पुलिस थाना नीमच सिटी जिला नीमच (म.प्र.) को भी अपराध सदर मे सह आरोपी बनाया जाकर दोनो आरोपी के विरुद्व अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

एक नजर में

जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव ने किया नशामुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण

नीमच। जिला पंचायत सीईओ एवं प्रशासक भारतीय रेडक्रास सोसायटी श्री अमन वैष्णव ने बुधवार को रेडक्रास नशामुक्ति केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वैष्णव ने नशामुक्ति केंद्र द्वारा संधारित अभिलेखों का अवलोकन किया। उन्होने केंद्र में उपचाररत नशे के आदि व्यक्तियों से चर्चा की तथा उपस्थित कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था सुधारने एवं केंद्र में आवश्यक कम्प्यूटर, रेक, अलमारी, भवन की पुताई आदि कार्य करवाने एवं केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सीसीटीवी केमरे दुरस्त करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर डिप्टी एवं सहायक प्रशासक श्री पराग जैन, नि:शक्तजन कल्याण के विनीत दुबे एवं नशामुक्ति केंद्र के कर्मचारी उपस्थित थे।

नीमच में प्लेसमेंट ड्राईव में 22 युवाओं को मिले आफर लेटर

नीमच। जिला रोजगार कार्यालय नीमच में बुधवार को प्लेसमेंट ड्राईव आयोजित किया गया। प्लेसमेंट ड्राइव में क्रेडिट एक्सीस ग्रामीण लिमिटेड कंपनी ने सहभागिता की। ड्राइव में कुल 33 आकांक्षी युवाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से चयन प्रक्रिया उपरांत 22 युवओं को कंपनी द्वारा आफर लेटर प्रदान किए गए है। यह जानकारी जिला रोजगार अधिकारी दिनेश परमार ने दी हैं।

ग्राम देवरिया में पेयजल कुएं की साफ-सफाई करवाई

नीमच। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत एक दिन ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई के अभियान के क्रम में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव के मार्गदर्शन में गत दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों की साफ-सफाई का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित किया गया। ग्राम देवरिया, ग्राम पंचायत बधावा, जनपद पंचायत जावद में स्थित ग्राम के पेयजल कुएं की साफ-सफाई कर जाली लगाने का कार्य पूर्ण करवाया गया।

पृथ्वी दिवस पर शासकीय माध्यमिक विद्यालय भरभड़िया में किए गए विभिन्न कार्यक्रम

नीमच। शासकीय माध्यमिक विद्यालय भरभड़िया में बुधवार 22 अप्रेल 2026 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजित किये गये। इस दौरान विद्यालय के बालक-बालिकाओं ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हुए चित्रकला, निबंध लेखन, पौधारोपण एवं स्वच्छता अभियान में भाग लिया। विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यार्थियों को पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उपायों के बारे में जानकारी दी तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाने, जल संरक्षण करने और प्लास्टिक का उपयोग कम रने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

पोस्ट ऑफिस चलाएगा आधार कार्ड संबंधित सेवाओं के लिए विशेष अभियान 25 अप्रैल को

नीमच। डाकविभाग द्वारा आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नीमच प्रधान डाकघर एवं बघाना डाकघर (पोस्ट ऑफिस) के आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन सेवा केन्द्रों पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नवीन आधार पंजीयन, आधार कार्ड में सुधार, बायोमेट्रिक अपडेट तथा आधार डेटा में मोबाइल एवं ईमेल लिंक कराने जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जानकारी के अनुसार यह विशेष अभियान 25 अप्रैल 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 23 एवं 24 अप्रैल को डाकघर से टोकन वितरण किया जाएगा। अभियान के दिन 25 अप्रैल को सभी आधार केन्द्र प्रात: 8 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित रहेंगे। अधीक्षक डाकघर अजित सिंह डामोर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने निकटतम डाक घर आधार केन्द्र पर पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं।

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार जारी रहे चालानी कार्रवाई : वैष्णव

नीमच। जिले में वाहनों पर काली फिल्म लगाकर वाहन उपयोग करने वालों, हेलमेट का उपयोग नहीं करने वाले, दो पहिया वाहन चालकों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई निरंतर जारी है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, ओव्हरलोड एवं लगेज का परिवहन करने वाले यात्री वाहनों के विरूद्ध भी कार्यवाही निरंतर जारी रहे। यह निर्देश जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में परिवहन अधिकारी एवं यातायात थाना प्रभारी को दिए गये।

बैठक में एडीएम बी.एस. कलेश, एसडीएम संजीव साहू, एसडीओपी अमित राठौर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण अमित नार्गेश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.दिनेश प्रसाद सहित अन्य जिला अधिकारी एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया, कि परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा काली फिल्म लगे वाहनों की जांच कर 127 वाहनों पर 68500 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। बिना नम्बर प्लेट लगे 172 वाहनों पर 86 हजार रूपये की चालानी कार्यवाही की गई।

जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया, कि वे शाला प्रधानो को पाबंद करें कि उनके शाला परिसर में 16 वर्ष से कम उम्र के कोई भी छात्र-छात्रा बगैर ड्रायविंग लायसेंस के वाहन से स्कूल न आए। संस्था प्रमुख शाला परिसर एवं शाला के बाहर भी देखे, कि कोई नाबालिक विद्यार्थी दो पहिया वाहन से स्कूल तो नहीं आ रहा है। मण्डी सचिव सुनिश्चित करें, कि नवीन मण्डी के बाहर हाईवे पर मण्डी में आने वाला कोई भी वाहन पार्किंग ना हो, खड़ा ना रहे।

लू-लपट से बचाव के लिए एडवायजरी जारी

▸ दोपहर के समय अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले डॉ. प्रसाद

नीमच। वर्तमान मौसम में गर्मी का प्रभाव बढ़ने लगा है तथा आगामी दिवस में इसमें और बढ़ोतरी की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए आमजनों को एडवायरी जारी कर सलाह दी गई है, कि इस मौसम में अनावश्यक दोपहर के समय घर से बाहर नही निकले। अप्रैल मई और जून में तापमान की अधिकता के कारण गर्म हवाओं के रूप में लू चलती है, जिससे आमजनों को भी लू लगने की समस्या हो सकती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दिनेश प्रसाद ने बताया, कि अत्याधिक गर्मी एवं तेज धूप के सम्पर्क में आने से शरीर में पानी एवं नमक (लवण) की कमी हो जाती है जिससे लू लगने की संभावना बढ जाती है। ऐसी स्थिति में आवश्यक सावधानियां अपनाना अत्यंत आवश्यक है। अनावश्यक धूप में निकलने से बचना चाहिये, यदि आवश्यक हो, तो सिर पर कपडे या गमछे का उपयोग करे। आखों पर चश्मा पहन कर चले। घर से बाहर निकलने से पहले कुछ खाकर निकले जरूरी कार्य सुबह जल्दी या सायंकाल को करे।

डॉ.प्रसाद ने बताया, कि तेज बुखार, सिसदर्द , चक्कर आना, उल्टी , मुहं का सुखना, अत्यधिक प्यास लगना, कमजोरी, पूरे शरीर में दर्द, पसीना नही आना, पेशाब कम आना या पीले गहरे रंग का आना, भूख नही लगना एवं बैहोसी जैसे लक्षण लू के संकेत हो सकते है, ऐसे लक्षण दिखाई दे, तो संबन्धित व्यक्ति को तुरंत छायादार एवं ठंडे स्थान पर लिटाकर प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए तथा तुरंत ही नजदिकी स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक को दिखाना चाहिये। लू से बचाव के लिये अत्याधिक मात्रा में पानी एवं तरल पदार्थो का सेवन करना चाहिए, सूती वस्त्र पहनें एंव ओ.आर.एस.का घोल का सेवन करना चाहिए। धूप में लंबे समय तक कार्य करने से बचना चाहिए। साथ ही दोपहर के समय किचन भट्टी पर कार्य को भी टालना चाहिये।

तरल पेय पदार्थ जैसे पानी, छांछ, नींबू का रस, फलों का रस, तरल पेय पदार्थो का उपयोग निरंतर करते रहना चाहिए। डॉ.प्रसाद ने बताया, कि अधीनस्थ चिकित्सकों को इसके लिये निर्देश जारी कर दियें है तथा पर्याप्त मात्रा में ओ.आर.एस. एवं अन्य दवाईयां की व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए गए है।

ग्राम जयसिंहपुरा में सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण

▸ अतिक्रमण स्थल पर सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि ग्राम पंचायत को सुपुर्द की

नीमच। एसडीएम नीमच संजीव साहू ने सोशल मीडिया में प्रसारित ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील नीमच नगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान आगजनी की घटना के संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की है।

एसडीएम नीमच संजीव साहू ने बताया कि न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील नीमच नगर के प्रकरण क्रमांक 0002/अ-68/2024-25, आदेश दिनांक 22.11.2024 द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा के सर्वे नंबर 384/1/1 रकबा 1.997 हे. मद बर्डी शासकीय भूमि में अतिक्रमित रकबा 0.061 हे. पर अतिक्रमणकर्ता गोपाल जाटव पिता प्रमुलाल जाटव के विरुद्ध बे-दखली आदेश पारित किया गया था। तद्समय स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासनिक टीम द्वारा उक्त आदेश के पालन में अतिक्रमण हटाया गया था।

उक्त आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड नीमच के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसके अपीलीय प्रकरण क्रमांक 0164/अपील/2024-25 पर पंजीबद्ध होकर नायब तहसीलदार नीमच नगर के आदेश को स्थिर रखा गया। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के अपीलीय प्रकरण के विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर जिला नीमच के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जो प्रकरण क्रमांक 003/निगरानी/2025-26 पर पंजीबद्ध होकर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नीमच व नायब तहसीलदार नीमच नगर के आदेश को यथावत रखा गया। अतिक्रमणकर्ता द्वारा एक बार अतिक्रमण हटाए जाने के उपरांत पुन: अतिक्रमण करने से सिविल जेल की कार्यवाही की गई, किंतु अतिक्रमण नहीं हटाया गया।

चूंकि अतिक्रमित स्थल पर पंचायत के सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा विगत एक वर्ष से अधिक समय से अतिक्रमणकर्ता गोपाल जाटव एवं उनके परिवार द्वारा बार-बार अतिक्रमण किए जाने से निर्माण में विलंब हो रहा था। अत: 22. अप्रैल2026 को तहसीलदार नीमच नगर, नायब तहसीलदार नीमच नगर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नीमच, थाना प्रभारी बघाना, पंचायत एवं राजस्वकर्मी की टीम को अतिक्रमण हटाने हेतु भेजा गया। टीम की उपस्थिति में मौके से शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमणकर्ता का सामान हटाकर भूमि अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। यह भी पाया गया कि अतिक्रमण की गई भूमि से लगकर गोपाल जाटव का पी.एम. आवास निर्मित है तथा परिवार निवासरत है, जिसे नहीं हटाया गया है।

मौके पर प्रशासनिक टीम द्वारा अतिक्रमण स्थल पर निर्मित झोपड़ी के सभी सामान को बाहर निकालकर सुरक्षित रखा गया तथा झोपड़ी खाली करवाई गई। झोपड़ी खाली करवाने के पश्चात अचानक गोपाल जाटव की बेटी ममता द्वारा पीछे से खाली झोपड़ी में आग लगा दी गई। चूंकि झोपड़ी पॉलीथिन से निर्मित थी, जिसके कारण पूरी झोपड़ी ने तत्काल आग पकड़ ली, किंतु प्रशासकीय अमले द्वारा तत्परतापूर्वक आग बुझा दी गई। मौके पर किसी प्रकार के सामान नुकसानी अथवा अन्य कोई नुकसानी की घटना कारित नहीं हुई व उक्त भूमि को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत को सुपुर्दगी में दे दी गई.

> एसडीएम नीमच संजीव साहू ने बताया कि मीडिया के माध्यम से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि नानुराम जाटव की मौत को अतिक्रमण हटाने की घटना से जोड़ा जा रहा है। किंतु मौके पर अतिक्रमण हटाने के दौरान नानुराम जाटव उपस्थित नहीं थे, प्राप्त जानकारी अनुसार उनकी मृत्यु ग्राम झांझरवाड़ा में स्वास्थ्य खराब होने से हुई, जिसका अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है।

रामानुजाचार्य की जन्म जयंती पर निकाला चल समारोह

मनासा। नगर में आज श्री रामानुज सम्प्रदाय के लोगों ने परम पूज्य स्वामी भाष्यकार भगवत श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की 1009 वी जयंती सभी वैष्णव जन व्दारा नगर के रामानुज कोट मंदिर पर मनाई।

इस अवसर पर रामानुज कोट मंदिर से एक चल समारोह निकाला गया चल समारोह में सम्प्रदाय के पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित थी चल समारोह सदर बाजार, बड़ा बाजार, मुरली मंदिर,कपड़ा बाजार होते हुए निकला चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया कही कही भगवत श्री रामानुजाचार्य की तस्वीर के सामने पुजा अर्चना की गई चल समारोह में रामानुज मुन्दड़ा, राजेश सोडानी बालकृष्ण मुन्दड़ा,उमेश मुगड़ श्री राम मुंगड़, वेदप्रकाश बाहेती सहीत महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किया श्रमदान

नीमच। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल स्त्रोत सेवा समागम कार्यक्रम के द्वितीय चरण में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद विकासखण्ड नीमच के सेक्टर महुडिया की नवांकुर संस्था द फर्स्ट गोल सोशल वेलफेयर फाउंडेशन नीमच और ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बमोरी द्वारा ग्राम बमोरी में कलश यात्रा एवं तालाब घाट पर जल स्त्रोत पूजन, वृक्ष पूजन एवं श्रमदान कार्यक्रम किया गया।

इस कार्यक्रम में जनपद सदस्य शिव बैरागी, कंवरलाल मेघवाल, राधेश्याम पुरी, बंसीलाल, प्रेम पुरी, शंभू लाल सेन, प्रस्फुटन समिति बमोरा अध्यक्ष द्वारकादास बैरागी, सामाजिक कार्यकर्ता की विशेष उपस्थिति में किया गया। पूजन उपरांत तालाब पर सामूहिक श्रमदान के माध्यम से घाट की साफ सफाई की जिसमे उपस्थित अतिथियों के साथ प्रस्फुटन समिति सदस्यों, समाज कार्य पाठ्यक्रम विद्यार्थियों और ग्रामवासियों ने स्वच्छता श्रमदान कर घाट को स्वच्छ किया इस दौरान सामाजिक, संस्था अध्यक्ष जहीन भसीन, निकिता जाट, परामर्शदाता राजकुमारी चौधरी, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठयक्रम के संगीता मालवीय, राहुल कुमार, केसर देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विद्या देवी, आशा चंद्रकला, पूजा, धापू बाई, सुगन भाई, निर्मला बाई, श्याम लता बाई, कोमल अहीर, शिवानी अहीर, धापू बाई का विशेष सहयोग रहा।

एक नजर | **पुलिस ने किया खुलासा, तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज**

खेत से 101 किलो डोडाचूरा-पोस्तादाना बरामद, 3 गिरफ्तार

नीमच। रतनगढ़ पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को इस मामले का खुलासा किया। मंगलवार को ग्राम आलोरी गरवाड़ा स्थित एक खेत से 101 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा और 15 किलो 500 ग्राम पोस्तादाना बरामद किया गया था।

पुलिस को मंगलवाक की रात मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने ग्राम आलोरी गरवाड़ा के खेत पर दबिश दी। मौके से राहुल धाकड़ (24), समीर मंसूरी (25) और अयान (22) को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से डोडाचूरा और पोस्तादाना बरामद हुआ।

पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बरामद डोडाचूरा को चोरी का बताया है। हालांकि, खुलासे के दौरान यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह चोरी का माल किस खेत से बरामद हुआ था।

चोरी के एंगल पर कई सवाल : इस चोरी के एंगल ने कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि मादक पदार्थों के मामलों में अक्सर एक लंबी सप्लाई चेन शामिल होती है। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर से चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी नशा विरोधी अभियान का हिस्सा थी।

रतलाम रेंज के डीआईजी निमिष अग्रवाल, नीमच एसपी अंकित जायसवाल, एएसपी नवलसिंह सिसौदिया और एसडीओपी जावद रोहित राठौर के मार्गदर्शन में रतनगढ़ पुलिस ने यह सफलता प्राप्त की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर आगे और खुलासे हो सकते हैं। पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।